

**पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०,**  
**ई-निविदा सूचना**

निम्न अल्पकालीन निविदायें ई-टेंडरिंग के माध्यम से खुलने की तिथि 30.05.2023 को 14:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं:- (1) नि०सं०-01/कार्य/2023-24:- अधीक्षण अभियन्ता (नगरीय) हेतु 01 नं० डीजल चालित हल्का वाहन मय ड्राइवर उपलब्ध कराने का कार्य (2) नि० सं०- 02/कार्य/2023-24:- बिजनेस प्लान 2023-24 में स्वीकृत खण्ड प्रथम के क्षेत्र में 11 केवी फीडर का निर्माण (3) नि० सं०-03/कार्य/2023-24:- बिजनेस प्लान 2023-24 में स्वीकृत खण्ड द्वितीय के क्षेत्र में अतिभारित फीडर के विभक्तीकरण का कार्य (4) नि० सं०-04/कार्य/2023-24:- उपकेन्द्र जैनबाग के कन्ट्रोलरूम के विस्तारीकरण में बाधक इनकमिंग केबिलों के स्थानान्तरण का कार्य (5) नि० सं०- 05/कार्य/2023-24:- उपकेन्द्र जैनबाग के कन्ट्रोलरूम के विस्तारीकरण में बाधक आउटगोइंग केबिलों के स्थानान्तरण का कार्य। (6) नि० सं०-06/सप्लाई/2023-24:- नवसृजित उपखण्ड कार्यालय मानकमऊ एवं पुलखुमरान के कार्यालय हेतु फर्नीचर आदि उपलब्ध कराने का कार्य। निविदा हेतु वांछित धरो0रा0 व नि०मू० (अप्रतिदेय) को विभागीय खाते में जमा कराये जाने एवं निविदा से सम्बन्धित अन्य समस्त विस्तृत विवरण/जानकारी/संशोधन/तिथि विस्तार इत्यादि हेतु वैबसाइट [www.pvvnI.org](http://www.pvvnI.org) एवं [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर लॉग इन करें। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, सहारनपुर। "राष्ट्रहित में बिजली बचायें", बिजली चोरी की सूचना हेल्पलाईन नम्बर पर दें। 1800-180-3002 (मेरठ), 1800-180-8752 (लखनऊ)।



(संजीव कुमार)

अधीक्षण अभियन्ता

विद्युत नगरीय वितरण मण्डल,  
सहारनपुर।

SAP ID 11000208

अधीक्षण अभियन्ता

विद्युत नगरीय वितरण मण्डल  
सहारनपुर

कार्यालय  
अधीक्षण अभियन्ता  
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल,  
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०  
घण्टाघर, सहारनपुर।

पत्रांक:- 322 / वि०न०वि०म० / स०पुर / निविदा

दिनांक :- 15.05.2023

विज्ञापन व्यवस्थापक,  
अमर उजाला,  
मेरठ।

विज्ञापन व्यवस्थापक  
कलयुग दर्पण  
सहारनपुर।

विज्ञापन आदेश

महोदय,

कृपया संलग्न 1 नं० विज्ञापन निविदा सूचना अपने प्रतिष्ठित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र में दिनांक 16.05.2023 तक के अंक में कम से कम स्थान में (हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 8-10 प्वाइन्ट टाइप में तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 6-8 प्वाइन्ट टाइप में (समाचार पत्रों के केवल एक कालम में) प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हेंडिंग व नीचे का नाम व पता यथा सम्भव एक ही लाईन में रनिंग मैटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।

1. स्थानीय प्रकृति की सूचनाएँ जैसे बिजली, बन्द रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगाने की सूचनाएँ बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथा सम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा निविदा सूचनाओं का प्रकाशन निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ, विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीद टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन को दो सम्पूर्ण वाउचर प्रतियाँ संलग्न करते हुये भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ को/अधोहस्ताक्षरी को (जहाँ भुगतान क्षेत्रीय स्तर पर होना है) प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव नहीं होगा।
3. संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में तथा हिन्दी समाचार पत्र में केवल हिन्दी भाषा में ही किया जाये। हिन्दी समाचार पत्र के लिये संलग्न अंग्रेजी भाषा की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये जिसके लिये समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. यदि आपकी सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन को प्रकाशित न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
6. विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाइप में राष्ट्रीय हित में बिजली बचाएँ का नारा तथा इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।
7. उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गन्दे अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नक- 1-विज्ञापन आदेश प्रथम एवं द्वितीय प्रति

2-विज्ञापन सामग्री 1 नं०

भवदीय,

(संजीव कुमार)  
अधीक्षण अभियन्ता  
SAP ID 11000208

पत्रांक:- 322 / दिनांक:- 15.05.23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. N.I.E.L.I.T (DOEACC CENTRE) Unit PW/NL, Meerut को डिस्कॉम की वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण) सहारनपुर क्षेत्र, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर।
3. उप मुख्य लेखाधिकारी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, जौनल कार्यालय सहारनपुर।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, जनसम्पर्क अनुभाग, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
5. नोटिस बोर्ड

(संजीव कुमार)  
अधीक्षण अभियन्ता  
SAP ID 11000208

विद्युत नगरीय वितरण मण्डल  
सहारनपुर